

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम-भीनमाल

| | | |
|--------------------|-------|----------------------|
| वादी/प्रार्थी- | बनाम | प्रतिवादी/अप्रार्थी- |
| अटदेवी जी. शंकराशम | काता | चमनाजी लूठा |
| लौबर निगुनी जेतु | वर्षा | रिताजी कोश |
| त.६० बागोडा | त.६० | भीनमाल |

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / नंबर-.....२४...../2019

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुई |
|------------|---|---|
| 5/9/19 | <p>वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री रणजीत सिंह द्वारा दावा बाबत विज्ञापन स्वतंत्ररी त.६० रणोडा नि.प्र.भा.न. 53, 188</p> <p>विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए समस्त तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 30-9-2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर, भीनमाल</p> | |
| 30.9.19 | <p>पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>प्रतिवादी 1 काता 2 भावा स्वयं हाजिर मजबूत व हलाल हेतु आय.दा समर्थ चाहते हैं अतः अवसर दिया जाता है मिशल तारीख 22.10.19 को पेश हो।</p> | मवार 1 |
| 11/10/19 | <p>वादीया मय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र आवत पत्रावली तलब करने का प्रस्तुत कर निकेदन किया कि उक्त वाद वादीया विद्रो करवा चालनी है इसलिए प्रकरण आज तलब किया जावे। इस पर प्रकरण तलब किया गया। वादीया जरिए अधि. वक्ता ने एक प्रार्थना पत्र आवत नया वाद पेश करने की अनुमति सहित वाद प्रत्याहरित करने का प्रस्तुत कर</p> | <p style="text-align: center;">LTI वक्ता</p> <p style="text-align: center;">Rt. श्रीमान गड देव</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर, भीनमाल</p> |


अजयान
गड्डेवी के नाम

कालिका

राजस्थान का प्रकरण संख्या-28/2019

निवेदन किया कि उक्त काद में हम
पक्षकारान के विषय लोक-अदालत
से आवना से आपस में राजीनामा
हो गया है और वादीया अब इस
प्रकरण को आगे नहीं-चाहती है
अतएव वादीया मय अधिवक्ता एवं
वादीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र अनुसार वादीया अब इस प्रकरण
से आगे चलाना नहीं-चाहती है

अतः वादीया का उक्त काद जरिए
विद्रावत खारिज किया जाता है
आदेश सुनाया गया। मिसल नुमर
फैसल होकर नुमर से कम है
व दाखिल दफ्तर है।


सहायक कलेक्टर, भीनमाल